

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 (बी) के संदर्भ में सूचना

उप संक्ष न	मांगी गई जानकारी	अभ्युक्ति
4(b) (i)	संगठन के कार्यों और कर्तव्यों का विवरण	<p>पर्यावरण और हाउसकीपिंग प्रबंधन विभाग विजयवाड़ा मंडल में डीआरएम कार्यालय पूर्वी ब्लॉक की दूसरी मंजिल, मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय, विजयवाड़ा-52001 में स्थित है।</p> <p>व.मंड्रैणएचएम/विजयवाड़ा: पर्यावरण और हाउसकीपिंग प्रबंधन विभाग के समग्र प्रभारी। एक जूनियर स्केल अधिकारी समंड्रैणएचएम द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। कार्य और कर्तव्य इस प्रकार हैं:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. क्रियान्वयन विभागों/निदेशालयों के परामर्श से नीतियों, कार्यक्रमों, पहलों को तैयार करने से संबंधित सभी मामले क) स्टेशनों पर बाहरी परिसंचारी क्षेत्र सहित, रेलवे स्टेशनों (सभी श्रेणियों) सहित कोचिंग ट्रेनों की हाउसकीपिंग / सफाई। बी) ऑन बोर्ड हाउसकीपिंग सर्विसेज (ओबीएचएस)। ग) ट्रेनों और स्टेशनों पर लिनन प्रबंधन। पर्यावरण और हाउसकीपिंग से संबंधित मामलों पर प्रशिक्षण, सेमिनार और कार्यशाला सहित क्षमता निर्माण। 3. निदेशालयों के साथ समन्वय सहित स्वच्छ भारत अभियान से संबंधित सभी मामले। 4. ठोस अपशिष्ट प्रबंधन - नीति और निगरानी। 5. प्रत्यायन सहित पर्यावरण प्रबंधन योजना। 6. जलवायु परिवर्तन और सतत विकास। 7. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के सभी पर्यावरण और हाउसकीपिंग मामलों पर समन्वय। 8. उपरोक्त (4,5 और 6) के संबंध में सभी संबंधित मुद्दों में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) के साथ समन्वय। 9. जलवायु परिवर्तन और संबंधित मामलों पर अंतर-मंत्रालयी और अंतर-विभागीय समन्वय। 10. संसद प्रश्न, आरटीआई, ऑडिट पैरा एनजीटी, कोर्ट केस सीए-III उपरोक्त मुद्दों पर एक ही एजेंसी के रूप में। 11. ईआरडब्ल्यू निधियों की स्वीकृति।

4(b) (ii)	अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य	<p><u>अधिकारी:</u></p> <p>१) <u>स्वास्थ्य निरीक्षकों की देखरेख में संविदा कर्मचारियों द्वारा स्टेशनों का निरीक्षण, स्टेशन की सफाई गतिविधियों का रखरखाव।</u></p> <p>2) <u>शक्तियों की अनुसूची में निर्धारित गाइड लाइन के अनुसार सीनियर डीईएनएचएम द्वारा प्राक्कलनों की स्वीकृति और प्रसंस्करण।</u></p> <p><u>कर्मचारी :</u></p> <p>1) <u>उच्च अधिकारियों के निर्देशों का कार्यान्वयन।</u></p> <p>2) <u>स्वीकृति कार्य के लिए मांगपत्र, प्राक्कलन और निविदा कार्यक्रम तैयार करना।</u></p> <p>3) <u>मुख्यालय के पत्राचार के लिए उत्तर तैयार करना ।</u></p>
4(b) (iii)	पर्यवेक्षण के चैनलों सहित निर्णय लेने की प्रक्रिया में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया	प्रस्तुत करने का चैनल सीसे इंजी/समंईएनएचएम स्तर से है और व.मंईएनएचएम द्वारा प्रस्ताव के निर्णय/निपटान का अंतिम स्तर है। रेलवे बोर्ड द्वारा जारी शक्तियों की अनुसूची में निर्धारित अनुसार चैनल का पालन किया जा रहा है।
4(b) (iv)	कार्यों के निर्वहन के लिए इसके द्वारा निर्धारित मानदंड	<p>1) क्षेत्रीय मुख्यालयों द्वारा मंडलों के एनएचएम विंग के प्रदर्शन मापदंडों के लिए कार्य लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं और मंडल, मुख्यालय द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं।</p> <p>2) कार्यों के निर्वहन के लिए नियमों और विनियमों का ज्ञान होना चाहिए।</p> <p>3) कर्तव्यों से संबंधित नियमों और प्रक्रिया का पालन।</p> <p>4) अन्य विभागों के अधिकारियों के साथ समन्वय।</p>
4(b) (v)	इसके द्वारा धारित या इसके नियंत्रण में या इसके कर्मचारियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले नियम, विनियम, निर्देश, मैनुअल और रिकॉर्ड।	<p>क्षेत्रीय मुख्यालयों से विभिन्न मैनुअल, रेलवे बोर्ड के परिपत्र, निर्देश और निर्देश हैं जो कार्यों के निर्वहन में उपयोग किए जाते हैं उनमें से कुछ हैं:</p> <p>1) कार्यों और सेवाओं के लिए अनुबंध की सामान्य शर्त।</p> <p>2) शक्तियों की अनुसूची।</p>
4(b) (vi)	इसके द्वारा या इसके नियंत्रण में रखे गए दस्तावेजों की श्रेणियों का विवरण।	रेलवे बोर्ड/जोनल रेलवे/मंडल कार्यालय से समय-समय पर जारी कोड बुक स्थापना कोड, वित्तीय कोड, कार्यों और सेवाओं के लिए अनुबंध की सामान्य शर्त, नीति परिपत्र/महत्वपूर्ण पत्र/निर्देश/संयुक्त प्रक्रिया आदेश आदि।
4(b)(vii)	किसी भी व्यवस्था का विवरण जो जनता के सदस्यों के साथ परामर्श या प्रतिनिधित्व के लिए मौजूद है, इसकी नीति के निर्माण या उसके कार्यान्वयन के संबंध में।	लागू नहीं

(b)(viii)	बोर्ड, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों का एक बयान जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति शामिल हैं, जो इसके हिस्से के रूप में या इसकी सलाह के उद्देश्य से गठित हैं, और क्या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिए खुली हैं, या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त जनता के लिए सुलभ हैं।	लागू नहीं
4(b)(ix)	अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की एक निर्देशिका।	विजयवाड़ा मंडल के एनएचएम विभाग के फोन नंबर :सूचना दक्षिण मध्य रेलवे की वेबसाइट http://www.scr.indianrailways.gov.in पर देखी जा सकती है
4(b) (x)	इसके नियमों में प्रदान की गई मुआवजे की प्रणाली सहित, इसके प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक।	यह वित्त मंत्रालय और रेल मंत्रालय द्वारा अधिकारियों और कर्मचारियों के निर्दिष्ट ग्रेड के लिए तय किया जाता है।
4(b) (xi)	अपनी प्रत्येक एजेंसी को आवंटित बजट जिसमें सभी पैन, प्रस्तावित व्यय और किए गए संवितरण पर रिपोर्ट का विवरण होता है।	पिंक बुक, कानून एवं राजस्व अनुदान के तहत विभिन्न कार्यों में व्यय किया जाता है। महत्व और जरूरी कार्यों के आधार पर बजट आवंटित किया जाता है। समय-समय पर समीक्षा की जाती है और तदनुसार आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन किए जाते हैं।
4(b) (xii)	आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के लाभार्थियों के विवरण सहित सब्सिडी कार्यक्रमों के निष्पादन का तरीका।	लागू नहीं
4(b)(xiii)	इसके द्वारा दी गई रियायतों, परमिटों या प्राधिकरणों के प्राप्तकर्ताओं का विवरण।	लागू नहीं
4(b)(xiv)	उपलब्ध या धारित सूचना के संबंध में विवरण, जिसे इलेक्ट्रॉनिक रूप में कम किया गया है।	कोड बुक और मैनुअल भारतीय रेलवे की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।
4(b) (xv)	जानकारी प्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं का विवरण, जिसमें पुस्तकालय या वाचनालय के काम के घंटे शामिल हैं, यदि सार्वजनिक	कुछ नहीं

	उपयोग के लिए बनाए रखा गया है।	
4(b)(xvi)	लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विवरण।	अपीलीय प्राधिकारी सहायक जन सूचना अधिकारी - वरिमंडईएनएचएम/विजयवाड़ा संपर्क करें: 67007 कार्यालय नं. 0866-2767907
4(b)(xvii)	इस तरह की अन्य जानकारी जो निर्धारित की जा सकती है और उसके बाद हर साल इन प्रकाशनों को अद्यतन किया जा सकता है।	कुछ नहीं
4(1)(b)(xviii)	राजस्व विभाग में इनकंबेंसी की स्थिति	लागू नहीं

